इलिनोइस राज्य

मुहर

उद्‌घोषणा

चूँकि, वर्ष 2019 के अंत में चीन में उभरी एक नई कोरोनावायरस (कोविड-19) बिमारी का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है; और,

चूँकि, कोविड-19, एक नई गंभीर तीक्षण श्वास प्रश्वास संबंधी बिमारी है जो कि श्वास प्रश्वास के संचरण द्वारा लोगों में फैल सकती है और इसके लक्षण इंफ्लुएन्ज़ा के लक्षणों से मिलते-जुलते हैं; और,

चूँकि, कुछ जन समुदायों में कोविड-19 की वजह से गंभीर बिमारी होने की अधिक आशंका है, जिनमें वृद्ध वयस्क और लोग जिनको जटिल जीर्ण चिकित्सीय परिस्थितियाँ, जैसे कि हृदय रोग, मधुमेह, या फेफड़ों का रोग हो, शामिल हैं; और,

चूँकि, हमने किसी भी संभावना का सामना करने के लिए कोशिशें जारी रखी हैं, देखते हुए कि यह एक नई बिमारी है और देखते हुए कि इस बिमारी से वृद्धों और जटिल जीर्ण चिकित्सीय परिस्थितियों वाले लोगों के लिए अधिक ज्ञात स्वास्थ्य संबंधी खतरा है; और,

चूँकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 30, 2020 को कोविड-19 को अंतरराष्ट्रीय स्तर का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, और संयुक्त राष्ट्र अमेरीका के हैल्थ और ह्यूमन सर्विसिस के सचिव ने जनवरी 27, 2020 को घोषित किया है कि कोविड-19 एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल प्रस्तुत करता है; और,

चूँकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मार्च 9, 2020 को कोविड-19 के 109,578 प्रमाणित मामलों और कोविड-19 से होने वाली 3,809 लोगों की मृत्यु की सूचना दी है; और,

चूँकि, चीन, ईरान, इटली, और दक्षिणी कोरिया में तत्कालीन कोविड-19 के प्रकोपों की प्रतिक्रिया में सेंटरज़ आफ़ डिज़ीज़ कंटरोल एंड प्रिवेनशंन ("सीडीसी") ने निर्णय लिया है कि इन देशों में अनावश्यक आने और जाने की यात्राओं पर प्रतिबंध या निषेध लगाना आवश्यक है; और,

चूँकि, सीडीसी ने वृद्ध यात्रियों और जटिल जीर्ण चिकित्सीय परिस्थितियों वाले लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की दी है, और बाकी सभी यात्रियों को परिष्कृत सावधानियाँ बरतने की सलाह देती है; और,

चूँकि, सीडीसी अभी सामाजिक तत्परता और संयुक्त राष्ट्र के सभी व्यक्तियों और परिवारों को प्रतिदिन रोकथाम के उपायों को अपनाने का अनुग्रह करता है, जिनमें श्वास प्रश्वास संबंधी लक्षणों सहित बिमार व्यक्तियों का स्वैच्छिक घर में विलगन, खाँसते और छींकते समय टिशू से मूँह को ढँकना, साबुन और पानी से बार-बार कम से कम 20 सैकिंड के लिए हाथों को धोना, अगर साबुन और पानी उपलब्ध ना हों तो शराब आधारित सैनिटाइज़र, जिसमें शराब की मात्रा कम से कम 60% हो, से हाथ धोना, प्रकोप के प्रत्युतर और

सामाजिक तन्यकता की वृद्धि के लिए आम तौर पर छूई जाती सतहों और चीज़ों को नियमित रूप से साफ़ करना शामिल हैं; और,

चूँकि, अब तक कोविड-19 के लिए कोई टीका या दवा उपलब्ध नहीं है; और,

चूँकि, अब तक सीडीसी, प्रमाणित मामलों वाले समुदायों में अल्पीकरण के उपायों, जिनमें बिमार होने पर घर में रहना, या जब घर के किसी सदस्य के श्वास प्रश्वास संबंधी लक्षणों सहित बिमार होने पर या सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों या एक स्वास्थय सेवा प्रदाता द्वारा ऐसा करने के निर्देश पर अन्य बिमार लोगों से दूर रहना, शामिल हैं; और,

चूँकि, कोविड-19 को रोकने की सभी कोशिशों के बावजूद, विश्व स्वास्थ्य संगठन और सीडीसी ने इसके फैलने की अपेक्षा को इंगित किया है; और,

चूँकि, इलिनोइस में अब तक कोविड-19 के 11 प्रमाणित मामले हैं, और अतिरिक्त 260 व्यक्तियों की जाँच की जा रही है; और,

चूँकि, इलिनोइस में कोविड-19 का एक प्रमाणित मामला यात्रा संबंधी गतिविधियों या किसी पहले प्रमाणित कोविड-19 मामले से जुड़ा नहीं है, जिससे इलिनोइस में सामाजिक संचरण का संकेत मिलता है; और,

चूँकि, कोविड-19 के गिर्द बदलती परिस्थितियों के परिपेक्ष में इलिनोइस एमरजैंसी मैनेजमेंट एजेंसी ऐक्ट के अधिनिय़म 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का गठन; और,

चूँकि, इलिनोइस राज्य की नीति है कि राज्य किसी भी आपदा का सामना करने के लिए तैयार रहेगा और, इसलिए, यह आवश्यक और उचित है कि राज्य के अतिरिक्त संस्धान कोविड-19 के प्रभावों का अल्पीकरण और लघुकरण सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध हों, और राज्य के निवासी और आने-जाने वाले लोग सुरक्षित और निश्चिंत महसूस करें; और,

चूँकि, यह उद्घोषणा, इलिनोइस की एजेंसियों को राजकीय और फ़ैडरल संसाधनों के समायोजन में सहायता करेगी, जिनमें दवायों और रक्षात्मक उपकरणों के सट्रैटिजिक नैशनल स्टाकपाईल, और इलिनोइस राज्य की स्थानीय सरकारों को कोविड-19 के संभावित प्रभाव से जुड़ी आवश्यक कार्यवाही की तैयारी की सहायता करना शामिल है; और,

चूँकि, यह परिस्तथितियाँ, आपात की उद्घोषणा जारी करने के लिए इलिनोइस ऐमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ऐक्ट के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत क़ानूनी औचित्य प्रदान करती हैं;

अब, **इसलिए**, इलिनोइस के निवासियों की सहायता करने के और सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चितत करने के लिए उत्तरदायी स्थानीय सरकारों के हित में, मैं जेबी प्रिटज़कर, राज्यपाल, इलिनोइस राज्य, निम्नलिखित उद्घोषणा करता हूँ:

अनुच्छेद 1. इलिनोइस ऐमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ऐकट, 20ILCS 3305/7 के अनुच्छेद 7 के प्रावधानों के आधार पर, मैं मानता हूँ कि इलिनोइस राज्य के भीतर आपादा मौजूद है, और खास तौर पर, इलिनोइस राज्य की सभी काऊँटियों को आपदा क्षेत्र घोषित करता हूँ।

अनुच्छेद 2. इलिनोइस डिपार्टमेंट आफ़ पब्लिक हैल्थ और इलिनोइस ऐमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी को मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा की योजना और प्रतिक्रिया के लिए एकदूसरे के साथ समायोजन करने के निर्देश दिया जाता है।

अनुच्छेद 3. इसके इलावा इलिनोइस डिपार्टमेंट आफ़ पब्लिक हैल्थ को मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा से जुड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए रणनीति और योजना के विकास के लिए राज्यपाल, बाकी राजकीय एजेंसियों, और स्थानीय प्राधिकारियों, जिनमें स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी भी शामिल हैं, के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है।

अनुच्छेद 4. इलिनोइस ऐमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी को स्थानीय सरकारों को आपदा प्रतिक्रिया और आरोग्य प्राप्ति के संचालनों के लिए राजकीय संसाधनों के समायोजन के लिए स्टेट ऐमरजेंसी औपरेशनस प्लान लागू करने का निर्देश दिया जाता है।

अनुच्छेद 5. इलिनोइस ऐमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ऐकट द्वारा अधिकृत प्रतिकिया के लिए आवश्यक आपातकालीन खरीदारियों और बाकी आपातकालीन शक्तियों की सहायता के लिए, इलिनोइस प्रोक्योरमेंट कोड के प्रावधान जोकि आपदा का सामना करने के लिए आवश्यक कार्रवाई में किसी प्रकार की बाधा डाले, रूकावट डाले, या देरी लाएँ, को उस हद तक, जोकि केंद्रीय क़ानून द्वारा आवश्यक नहीं है, निलंलित किया जाता है। यदि आवश्यक हो, या इलिनोइस ऐमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ऐकट, 20ILCS 3305/7(1) के अनुच्छेद 7(1) के अनुसार, अतिरिक्त विधानों, आदेशों, नियमों, और विनियमों के निलंबन के लिए राज्यपाल उचित कार्यकारी कार्रवाई कर सकते हैं।

अनुच्छेद 6. इलिनोइस ऐमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ऐकट, 20ILCS 3305/7(3) के अनुच्छेद 7(3) के अनुसार, यह उद्घोषणा राज्यपाल के, अवश्यकतानुसार, आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रमों के कार्य-निष्पादन और सुगमता के उद्देश्य से राजकीय विभागों और एजेंसियों या इकाइयों के निर्देश, कर्मियों, और कार्यों के स्थानांतरण के अधिकार को सक्रिय करती है।

अनुच्छेद 7. इलिनोइस डिपार्टमेंट आफ़ पब्लिक हैल्थ, इलिनोइस डिपार्टमेंट आफ़ इंशोरेंस, और इलिनोइस डिपार्टमेंट आफ़ हैल्थकेयर और फ़ैमिली सर्वसिस को सिफ़ारिश करने, और आवश्यकतानुसार, आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहकों को कोविड-19 के नैदानिक परीक्षण और उपचार सेवाएँ प्राप्त करने के लिए वित्तीय बाधाओं का सामना ना करना पड़े।

अनुच्छेद 8. इस उद्घोषणा के प्रभाव के दौरान, इलिनोइस स्कूल कोड में मौजूद 105 ILCS 5/1-1 et. Seq. के अंतर्गत इलिनोइस स्टेट बोर्ड आफ़ ऐडूकेशन को सिफ़ारिश करने, और आवश्यकतानुसार, कोविड-19 के

संचरण के कारण दीर्घ अनुपस्थिति को दूर करने और ई-लर्निंग के उपयोग में आने वाली बाधाओं को घटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है।

अनुच्छेद 9. इलिनोइस ऐमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ऐकट, 20ILCS 3305/7(14) के अनुच्छेद 7(14) के अनुसार, इस उद्घोषणा के प्रभावकाल के दौरान, इलिनोइस राज्य में कोविड-19 की रोकथाम, उपचार, और आरोग्य प्राप्ति में सहायता करने वाली वस्तुओं और सेवाओं, जिनमें चिकित्सा आपूर्ति, सुरक्षात्मक उपकरण, दवाएँ, और अन्य वस्तुएँ शामिल हैं, के बिक्री मुल्य में वृद्धि वर्जित है।

अनुच्छेद 10. यह उद्घोषणा केंद्रीय आपातकाल और/या आपदा सहायता के लिए एक अनुरोध की सुविधा प्रदान करती है यदि क्षति का पूर्ण और व्यापक मुल्यांकन इंगित करता है कि असरदार प्रतिलाभ राज्य और प्रभावित स्थानीय सरकारों की क्षमताओं से बाहर है।

अनुच्छेद 11. यह उद्घोषणा तुरन्त प्रभावी होगी, और 30 दिनों के लिए लागू रहेगी।

गवाह के रूप में, मैंने अपना हाथ उठाया और इलिनोइस राज्य की महान मुहर को यहाँ लगा दिया। इस मार्च के नौवें दिन हमारे प्रभु के साल, दो हज़ार और बीस, और इलिनोइस राज्य के दो सौ और दूसरा को राजधानी, सप्रिंगफ़ील्ड शहर में किया गया।

[हस्ताक्षर]
राज्य के सचिव

[हस्ताक्षर]
राज्यपाल